

पत्रांक-श्रम क०सं०-28/2025-694

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 03 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

04 मृतकों/दावेदारों/कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार, आधार सं०,	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता, मोबाईल सं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विरेन्द्र मांझी, 54, सुम्ह नारायण, अनुसूचित जाति	पुपा देवी, (पत्नी)	813, 07. 08.2025 1092, 18.11.2025	ग्रा०+पो०-लछवार, थाना+प्रखण्ड-थावे, जिला-गोपालगंज मो०-8262334070	4691 1011 0003 800	BOI, BKID0 004691	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वामावि क मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० दुर्गेश राम, 42, बोधी राम, अनुसूचित जाति	बंदना देवी, (पत्नी),	815, 07. 08.2025	ग्रा०-रामपुर, पो०+थाना+प्रखण्ड-भो रे, जिला-गोपालगंज मो०-9031348486	3194 3234 50	CBI, CBIN0 283180	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वामावि क मृत्यु, सेन्ट्रींग मिस्त्री का कार्य
3	स्व० धर्मशोला देवी, 51, श्री मुन्दिका मांझी, अनुसूचित जाति	श्री मुन्दिका मांझी, (पति),	847, 14. 08.2025	ग्रा०-बसर्हा, पो०-राजापट्टी, थाना+प्रखण्ड-बैकण्ठपुर, जिला-गोपालगंज मो०-9239445291	1005 0410 3029 6770	UBGB, PUNB 0MBG B06	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वामावि क मृत्यु, खेतिहर मजदूर एवं पशुपालन का कार्य
4	स्व० साधु राम, 48, श्री हरिहर राम, अनुसूचित जाति	रीता देवी, (पत्नी),	886, 25. 08.2025	ग्रा०+पो०-झाझवाँ, थाना-झाझवाँ बाजार, प्रखण्ड-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज मो०-7780095429	3649 9720 70	CBI, CBIN0 282764	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वामावि क मृत्यु, खेतिहर मजदूर एवं पशुपालन

कुल रु० 1,80,000 /-
(एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र)



2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-28/2025-684

पटना, दिनांक :- ०१/०६/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **कुल:- ₹० 1,80,000 /- (एक लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, सारण / श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

05/06/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 05-06-2026 10:30:10
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
Signed by Rajesh Bharti
Date: 08-06-2026 09:43:51
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक